राँची एक्सप्रेस 18/5/16

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (नालसा) के कार्यक्रम में बोले प्रधान न्यायायुक्त

लोगों तक पहुंचाएं योजनाओं का लाभ

संवाददाता

राँची : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (नालसा) की सात प्रमुख योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने का कार्य आज से विधिवत शुरू हो गया। सिविल कोर्ट सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में इन योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राँची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार ने इस अवसर पर कहा नालसा की सात योजनाएं काफी महत्वपूर्ण हैं। इन योजनाओं का लाभ हमें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि पहले इन योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना है फिर लाभुकों की चिन्हित कर योजनाओं का लाभ दिलाना है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं को शुभारंभ न्यायमूर्ति डीएन पटेल को करना था लेकिन अस्वस्थ होने के कारण वे कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाये। उनका संदेश हमें मिला है और उन्होंने इन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की शुभकामनाएं दी है।

कार्यक्रम को संबोधित करते सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार।

झालसा के सदस्य सचिव एके राय ने कहा कि लोगों तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए राँची जजशीप को पूरे देश में अव्वल बनाना है इसके लिए हमें टीम भावना से कार्य करने की आवश्यकता है।

एजेसी -वन योगेश्वर मणि ने कहा कि ट्रैफिकिंग झारखंड की एक प्रमुख समस्या है। प्रतिदिन झारखंड की कई बेटियां दिल्ली एवं महाराष्ट्र ले जायी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इन बेटियों का वहां शारीरिक एवं यौन शोषण किया जाता है। श्री मणि ने कहा कि शारीरिक शोषण तो बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन यौन शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिकिंग को लेकर जितनी परेशान जनता है उतनी ही परेशान न्यायालय भी है। उन्होंने कहा कि मानव तस्करों को सजा दिलाने के लिए पीड़ित बेटियों को आगे आने की आवश्यकता है।

हाईकोर्ट लीगल सर्विस के सचिव संतोष कुमार ने कहा कि नालसा की सात योजनाओं की नींव राँची में ही पड़ी थी। आज इन योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नोडल पदाधिकारियों की मदद से इन योजनाओं का अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है।

इस अवसर पर एजेसी बीके गौतम, एजेसी एस एस प्रसाद आदि ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राजेश कुमार सिंह ने किया। इस अवसर पर उपायुक्त द्वारा मनोनीत सभी नामित पदाधिकारी ,पैनल लॉयर ,पीएलवी एवं एनजीओ के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इधर नामकुम के मालहार टोली में आज गठित टीम द्वारा योजनाओं को पहुंचाने के लिए लोगों की पहचान की गयी।

ये हैं नालसा की सात प्रमुख योजनाएं

- नालसा मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएं योजना, 2015
- नालसा तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं योजना, 2015
- नालसा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाएं योजना, 2015
- नालसा बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए योजना, 2015
- नालसा गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन योजना, 2015
- नालसा आदिवासियों के अधिकारियों का संरक्षण और प्रवर्तन योजना, 2015
- नालसा नशा पीड़ितों की विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं योजना, 2015

Khabar mantra - 19/5/16

योजनाओं का लाभ पहुंचाना बड़ी जिम्मेदारी : डालसा अध्यक्ष

संवाददाता

रांची। सिविल कोर्ट रांची के प्रधान न्यायायुक्त सह डालसा के अध्यक्ष नवनीत कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (नालसा) की सात योजनाओं का लाभ उसके लाभुकों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। प्रत्येक व्यक्ति को उनका अधिकार मिले इसके लिए सभी को मिलकर कार्य करने होंगे। यह बातें उन्होंने झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) की ओर से नालसा के सात योजनाओं का अमलीकरण को लेकर आयोजित कार्यशाला में कही। कार्यशाला का आयोजन प्रधान न्यायायुक्त के सभागार में किया गया था। झालसा के सदस्य सचिव एके राय ने कहा कि रांची झारखंड में जजशीप में पहले स्थान पर है। इसे पूरे हिन्दुस्तान में अव्वल बनाना है। इसके लिए सभी को एकजुट होकर कार्य करना होगा। न्यायायुक्त प्रथम योगेश्वर मणि ने तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजना पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि तस्करी से जितनी परेशानी जनता को है उतना ही अदालत भी परेशान है। लेकिन उसी पीड़िता को अदालत में गवाही के लिये लाया जाता है तो कह देती है कि मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की गयी है। तब अदालत दोषी को सजा नहीं दे पाती है। कहा कि ट्रैफिकिंग के लिए कठोर कानून है। लेकिन पीड़िता को सत्य सामने लाना होगा। तभी यह कानून वास्तव में कारगर साबित होगा। हाइकोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सचिव संतोष कुमार ने कहा कि योजनाओं की क्रियान्वयन में कार्यपालिका, पुलिस व स्वयंसेवी संस्था की सहभागिता जरूरी है। राज्य में 48 पुलिस थाना क्षेत्र से ट्रैफिकिंग ज्यादा होती है। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। अपर न्यायायुक्त बीके गौतम ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवा योजना, अपर न्यायायुक्त एसएस प्रसाद ने आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन योजना पर प्रकाश डाला। कार्यशाला का संचालन डालसा सचिव राकेश कुमार सिंह ने किया। इस अवसर पर सात योजनाएं के प्रभारी पदाधिकारियों, मध्यस्थ एलके अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के अध्यक्ष, अधिवक्ता सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

इन योजनाओं को पहुंचाना है जन-जन तक

नालसा योजना के तहत आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाएं, नशा पीड़ितों एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं, मानसिक रूप से बीमार व विकलांग व्यक्तियों के लिए, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए, बच्चों को मैत्रीपूर्ण व उनके संरक्षण के लिए, गरीबी उन्मूलन योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन तथा तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं शामिल हैं।

प्रभात खबर - 18/5/16

नालसा की योजनाओं का क्रियान्वयन

योजनाएं लाभुकों तक पहुंचें

समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार.

संवाददाता ▸ रांची

प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (नालसा) की सातों योजनाओं को लाभुकों तक पहुंचायें. जरूरी है कि इन योजनाओं से ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले. इसके लिए सातों योजनाओं के लिए गठित टीम के नोडल पदाधिकारियों, अधिवक्ताओं, पीएलवी को बेहतर जानकारी होनी आवश्यक है. प्रधान न्यायायुक्त सिविल कोर्ट में आयोजित नालसा की सात योजनाओं के क्रियान्वयन के अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर बोल रहे थे.

इस अवसर पर झालसा के एके राय ने कहा कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन में झारखंड देश में अव्वल स्थान प्राप्त करे, इसके लिए कोशिश की जानी चाहिए. कार्यक्रम में पुलिस पदाधिकारी, योजनाओं के क्रियान्वयन के नोडल पदाधिकारी, अधिवक्ता और पारा लीगल वालंटियर उपस्थित थे.

लाभुकों तक पहुंचाएं योजनाओं का लाभ : प्रधान न्यायायुक्त

जागरण संवाददाता, रांची । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) की योजनाओं का लाभ लाभुकों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। प्रत्येक व्यक्ति को उनका अधिकार मिले इसके लिए कार्य करना होगा। यह बातें प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार ने कहीं। वह झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) की ओर से नालसा के सात योजनाओं का अमलीकरण को लेकर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। कार्यक्रम व्यवहार न्यायालय के प्रधान न्यायायुक्त सभागार में आयोजित था। संचालन डालसा सचिव राजेश कुमार सिंह ने की। झालसा सचिव एके गुप्ता ने कहा कि रांची जजशीप राज्य में पहले स्थान पर है। इसे पूरे हिन्दुस्तान में अव्वल बनाना है। इसके लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा। अपर न्यायायुक्त योगेश्वर मणि ने तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजना पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि तस्करी से जितनी परेशानी जनता को है उतना ही न्यायालय परेशान है। पीड़िता न्यायालय में ट्रैफिकर को पहचानने से इनकार कर देती है। इससे उन्हें सजा नहीं मिल पाती।

18/5/16

नालसा की सात स्कीम को ले जागरूकता अभियान शुरू

रांची: नेशनल लिगल सर्विसेस अथॉरिटी(नालसा) की सात स्कीमों के क्रियान्वयन सोमवार को रांची सिविल कोर्ट परिसर में हुआ। रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकार(डालसा) की ओर नालसा की सात स्कीमों को लेकर नामकुम के लोवाडीह में जागरूकता अभियान चलाया गया। इससे पूर्व सिविल कोर्ट परिसर में नालसा की स्कीमों को लागू करने के लिए गठित टीम, नोडल पदाधिकारियों के लिए कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार उपस्थित थे। मौके पर प्रधान न्यायायुक्त ने कहा कि नालसा की ये स्कीम कैसे लाभुकों तक पहुंचे, इसका विशेष ध्यान रखना होगा। लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। झालसा के सदस्य सचिव एके राय ने कहा कि रांची डालसा ने लोगों को बेहतर लिगल सर्विस उपलब्ध करायी है। उन्होंने आशा जतायी की लोगों को लिगल सर्विसेस देने के क्षेत्र में झारखंड नंबर वन बनेगा। एजेसी योगेश्वर मनी ने झारखंड में ह्युमन ट्रैफिकिंग की समस्या को गंभीर बताया। उन्होंने बताया कि ट्रैफिकिंग के तहत पहले झारखंड से लोगों को दिल्ली ले जाया जाता था, अब महाराष्ट्र में आदिवासी युवक व युवतियों को नौकरी के नाम पर ले जाया जाता है। ट्रैफिकिंग के शिकार लोग ऐसे गलत धंधे में लिप्त लोगों की पहचान भी नहीं कर पाते हैं जिससे कानून को अपना काम करने में परेशानी होती है और दोषियों को सजा नहीं मिल पाती है। एजेसी बीके गौतम ने कहा कि असंगठित मजदूरों को न्यूनतम वेतन व अन्य सुविधाएं नहीं मिल पाती है, इसका समाधान निकालने की जरूरत है। एजेसी एसएस प्रसाद ने कहा कि ट्राइबलों के लिए जो सरकारी स्कीम है।

बच्चों के लिए लगाया जागरूकता शिविर

भास्कर न्यूज | नामकुम

लोयाडीह मल्हारकोचा स्लमबस्ती में विधिक जागरूकता शिविर मलसा द्वारा लगाया गया। इसका विषय बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए योजना 2015 था। इसके अंतर्गत स्लम बस्ती के बच्चों को भोजन, सुरक्षा, आवास, शिक्षा, चिकित्सा और न्यायिक सुविधाओं के लिए आवेदन लिया गया। साथ ही उपरोक्त विषय के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। इस क्रम में बस्ती के लोगों द्वारा करीब 200 आवेदन प्राप्त हुए। इसमें वार्ड पार्षद कुलभूषण डुंगडुंग, अधिवक्ता मनीषा रानी, पियूष सेनगुप्ता, सुदर्शन कार्तिक, राहुल प्रवीण, रोमालिया आदि मौजूद थे।